

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स .3-3 (1) स्था/मंत्रा./अभि./2016/पार्ट-I/ 2310-16

दिनांक:- 20-2-17

आदेश:-

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी. ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 26.05.2014 एवं 10.02.2016 में वर्णित शर्तो के अनुसार निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. नियमों के तहत देय अधिकतम तीन उच्चतर ग्रेड पे या सेवानिवृत्ति के समय की ग्रेड पे की राशि के दोनो में से जो कम हो, जो कि इस शर्त के अध्यधीन होगी कि अन्तिम मूल वेतन मे से पेंशन की राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नही हो, के समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	आवेदक का नाम	से.नि. से पूर्व का विभाग	जन्म तिथि	ए.डी.पी कार्यालय का नाम जिसमें नियुक्ति की जानी है	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मदन लाल सैन	लिपिक ग्रेड प्रथम, अभियोजन विभाग	20.07.56	एडीपी अलवर	प्रथम बार
2.	श्री रोशन लाल	रीडर, न्याय विभाग	10.10.55	एडीपी अलवर	प्रथम बार
3.	श्री भंवर सिंह	हैड कानि., पुलिस विभाग	28.08.60	एडीपी सिरौही	प्रथम बार
4.	श्री नन्द किशोर शर्मा	लिपिक ग्रेड प्रथम, अभियोजन विभाग	05.07.56	एडीपी प्रथम जयपुर	प्रथम बार
5.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव	सूबेदार, थलसेना	10.08.66	एडीपी धौलपुर	प्रथम बार
6.	श्री गोरधन राम आचार्य	सहा.कार्या.अधी., अभियोजन विभाग	01.10.57	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
7.	श्री नाथूसिंह	उप निरीक्षक, राज. पुलिस	30.06.56	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
8.	श्री पुष्पनाथ माथुर	प्रयोगशाला सहायक, शिक्षा विभाग	01.6.56	एडीपी जोधपुर	प्रथम बार
9.	श्री तिलक राज खन्ना	प्रर्यवेक्षक मंत्रालयिक, बीमा विभाग	09.12.55	एडीपी प्रथम जयपुर	प्रथम बार
10.	श्री किशन लाल तोषनीवाल	लि.ग्रेड प्रथम, शिक्षा विभाग	22.07.56	एडीपी चित्तौडगढ	प्रथम बार
11.	श्री किशोरी लाल जोशी	लि.ग्रेड प्रथम, सा.नि.विभाग	23.09.53	एडीपी भीलवाडा	प्रथम बार
12.	श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा	कार्या.अधी., शिक्षा विभाग	14.07.56	एडीपी भीलवाडा	प्रथम बार

13.	श्री रामसिंह चौहान	लि.ग्रेड प्रथम, कर्म.राज्य औषधालय विभाग	बीमा	12.6.55	एडीपी राजसमन्द	प्रथम बार
-----	--------------------	---	------	---------	----------------	-----------

- 1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 10.02.2016 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- 2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा **उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक** अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहलें हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- 6 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवेतन व्यय (आयोजना भिन्न) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश गृह (ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. 120411 दिनांक 13.02.2017 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

— sd —
(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित उप निदेशक अभियोजन,
4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
5. संबन्धित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन,
6. लेखा शाखा /रक्षित पत्रावली।

716 / 20/2/17
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर